भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**....**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 233**

(जिसका उत्तर मंगलवार, 1 दिसम्‍बर, 2015/ 10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला है)

**विदेशी धन संबंधी नियमों में परिवर्तन**

**233. श्री लाल सिंह वडोदियाः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विदेश से आने वाले लोगों द्वारा पैसा लाने संबंधी कानूनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

**(क) से (ग) :** जी, नहीं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जो विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह और बहिर्वाह से संबंधित नियम और विनियम निर्धारित करता है, की सांविधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और प्रचलित वृहत आर्थिक परिस्‍थितियों को ध्‍यान में रखते हुए यथाविधि आवश्‍यक संशोधन किए जाते हैं।

------